राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–1772/2012/जयपुर

मै0 कोरस (इण्डिया) लि0,
जयपुर .....अपीलार्थी

बनाम

1.उपायुक्त(अपील्स) तृतीय,वा.क.जयपुर
2.वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, राज0 वृत–द्वितीय, जयपुर ...प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष
श्री के.एल.जैन,सदस्य

उपस्थित : :

श्री अलकेश शर्मा,
अधिकृत अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से

श्री एन.के.बैद,
उप राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थीगण की ओर से

निर्णय दिनांकः– 12/04/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–व्यवसायी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स)तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 249/अपील्स–तृतीय/11–12 में पारित आदेश दिनांक 27.08.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. उक्त अपील के संबंध में तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वित्तीय वर्ष 1998–99 के लिए अपीलार्थी व्यवसायी का निर्धारण आदेश दिनांक 07.03.2001 को पारित किया जाकर, अपीलार्थी द्वारा विक्रय किये जाने वाले कुछ आईटम पर स्टेशनरी न मानकर सामान्य कर दर से करारोपण किया गया, जिसमें यह माना गया है कि वह माल स्टेशनरी श्रेणी के तहत सम्मिलित योग्य नहीं थे। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी के दिनांक 23.04.2009 के आदेश से निम्न निर्देशों के साथ पुनः कर निर्धारण हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया।

(1) Corrective pen, correcting fluid red or stencil, stamp pad, eraser fluid, Kores Synthetic gums and office paste को स्टेशनरी में शामिल माना जाए।

(2) शेष मदों में, यथा, feather touch, glue stock, Roll on glue, solar, PVC clips, Duplicating ink, Tecly figure, Kores band के संबंध में सामान्य दर से कर आरोपित किया जावे।

3. उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी–व्यवसायी के साथ विभाग द्वारा भी माननीय राजस्थान कर बोर्ड में अपील प्रस्तुत की गयी थी, जिसमें अपीलार्थी द्वारा अपीलीय आदेश का उस बिन्दु पर विरोध किया गया था कि जिन आईटम को सामान्य कर दर माना है वह गलत है जबकि राजस्व द्वारा यह चुनौती दी गई थी कि जो आईटम स्टेशनरी माने गये है वह गलत है, बल्कि वे सामान्य कर दर से कर योग्य थे।

लगातार.....2

4. इस तरह अपीलीय आदेश दिनांक 23.04.2009 के विरूद्ध माननीय राजस्थान कर बोर्ड में अपील संख्या 820/2009/जयपुर एवं अपील संख्या 1107/2009/जयपुर पंजीकृत हुई, जिसका निर्णय माननीय कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा दिनांक 29.02.2016 को किया गया एवं दिनांक 07.03.2001 का कर निर्धारण आदेश एवं दिनांक 23.04.2009 का अपीलीय आदेश अपास्त कर दिया गया तथा अपीलार्थी द्वारा विक्रय किये गये समस्त माल स्टेशनरी आईटम की श्रेणी में ही कर योग्य माना जा चुका है। इस तरह मूल कर निर्धारण आदेश दिनांक 07.03.2001 निरस्त हो चुका है।

5. माननीय कर बोर्ड के समक्ष प्रथम अपीलीय आदेश दिनांक 23.04.2009 के विरूद्ध अपीलार्थी एवं राजस्व की अपीलें लम्बित होने के दौरान ही कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के प्रतिप्रेषण आदेश दिनांक 23.04.2009 के परिप्रेक्ष्य में पुनः आदेश दिनांक 29.03.2011 पारित कर दिया गया, जिसके विरूद्ध पुनः अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलार्थी द्वारा अपील की जाने पर, अपीलीय अधिकारी ने दिनांक 27.08.2012 को आदेश पारित किया गया, जिसमें यह निर्णय किया गया है कि जो आईटम स्टेशनरी नहीं मान कर सामान्य कर दर से कर योग्य माने गये है, वे विधिसम्मत है, परन्तु मूल कर निर्धारण आदेश दिनांक 07.03.2011 एवं उसके विरूद्ध अपीलीय आदेश दिनांक 23.04.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में माननीय कर बोर्ड द्वारा दिनांक 29.02.2016 को निर्णय किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक ने यह कथन किया है कि अब यह अपील स्वतः स्वीकार योग्य है क्योंकि इस प्रकरण में दिनांक 29.02.2016 के माननीय राजस्थान कर बोर्ड के निर्णय द्वारा अपीलार्थी का वर्ष 1998–99 में विक्रय किया गया समस्त माल स्टोशनरी के रूप में ही कर योग्य माना जा चुका है एवं उक्त अपील में विवादित आदेश सारहीन हो चुका है।

6. राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने उक्त निर्णय के प्रकाश में अपील निर्णीत करने में कोई आपत्ति नहीं की है।

7. उक्त तथ्यों एवं माननीय राजस्थान कर बोर्ड द्वारा इसी प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 29.02.2016 के प्रकाश में अपीलार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष दिनांक 29.02.2016 के निर्णय से प्राप्त हो चुका है। अतः अपीलीय आदेश एवं पुनः किया गया कर निर्धारण आदेश दिनांक 29.03.2011 अपास्त किया जाकर, अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

12/4/2017

(के.एल.जैन)
सदस्य

(खेमराज)
अध्यक्ष